बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–51/2020 26 /पटना, दिनांक :– 24.2.23

श्री जय प्रकाश नारायण राय, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के विरूद्ध गया जिला में टिकारी बेलागंज मार्ग पर पंचदेवता के पास मोरहर नदी पर पुल निर्माण में अनियमितता के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2162 दिनांक 26.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. श्री राय के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में निम्न दो आरोप गठित किये गये:–

(i) टिकारी के निकट मोरहर नदी पर 21x8.37 मी0 उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कार्य वर्षो से यथावत रहने के बावजूद एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप कार्रवाई नहीं किया जाना, लापरवाही, संवेदनहीनता एवं प्रशासनिक विफलता को परिलक्षित करता है।

(ii) पुल के पी0सी0सी0 फ्लोर की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम पायी गयी है एवं प्रयोगशाला जॉच में कंक्रीट क्यूब का Strength वांछित Strength से कम प्रतिवेदित है।

3. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 399 अनु0 दिनांक 25.01.2018 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय द्वारा के बचाव बयान से सहमत होते हुए गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। श्री राय द्वारा प्रथम आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में उल्लेख किया गया कि उक्त पुल को एकरारनामा के अनुसार दिनांक 29.11.2007 को पूर्ण करना था। इस अवधि में वे कार्य प्रमंडल, गया में पदस्थापित नहीं थे। उनका पदस्थापन पुल निर्माण शुरू हाने के लगभग 6 वर्षो के बाद हुआ। संवेदक द्वारा किये गये कार्य का उनके द्वारा दशम चालू विपत्र दिनांक 20.04.2012 को समर्पित किया गया। पुल निर्माण कार्य वर्षो से यथावत रहने के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरे आरोप के संबंध में श्री राय द्वारा 1 से 9वॉ चालू विपत्र पूर्ववर्ती कनीय अभियंता द्वारा तैयार करने का उल्लेख करते हुए इस आरोप के लिए खुद को उत्तरदायी नहीं माना।

4. जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुल निर्माण का कार्य वर्षो तक यथावत रहने के बावजुद श्री राय द्वारा दशम विपत्र समर्पित किया गया परंतु संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई। श्री राय द्वारा दशम चालू विपत्र तैयार करने से यह स्पष्ट है कि प्रावधन से कम मुटाई वाले पी०सी०सी० फ्लोर एवं कम strength वाले कंक्रीट के पुल पर पूर्व के कार्य को आगे बढ़ाने का हुआ।

5. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री राय से विभागीय पत्रांक 1333 अनु0 दिनांक 08.06.2018 द्वारा असहमति के उक्त बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री राय द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 16.11.2022 समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे दिनांक 17.09.2011 को उक्त योजना से संलग्न हुए थे एवं उनके द्वारा दशम चालू विपत्र को दिनांक 20.04.2012 को समर्पित किया गया था। उनके उपर लगाये गये आरोप तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों से भिन्न है। तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन की कंडिका–7.1.0 के उप कंडिका–3 में अंकित है कि– "सहायक अभियंता ने मात्र तृतीय, षष्ठम, सप्तम्, अष्टम एवं नवम् चालू विपत्रों की मापियों को आंशिक रूप से जॉचित किया है, किन्तु छड़ों की मापी की जॉच कहीं नहीं की गयी है। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा भी किसी मापी की जॉच नहीं की गयी है, किन्तु दसवें चालू विपत्र का भुगतान कर दिया गया है। अतः समुचित मापी जॉच नहीं करने की अनियमितता के लिए प्रतिवेदन की कंडिका–3.1.5 में वर्णित कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को उत्तरदायी माना जा सकता है।"

स्पष्ट होगा कि जॉच प्रतिवेदन में 9वें चालू विपत्र तक अंकित विपत्र की जॉच नहीं किये जाने हेतु सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को उत्तरदायी माना है, जिसमें कनीय अभियंता का नाम भी नहीं है। उनके द्वारा अपने पदस्थापन के बाद कार्यहित में संबंधित कार्य को आरंभ करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की गयी। जहॉ तक संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न है, के संबंध में कहना है कि एकरारनामा के शर्त्तो के अनुरूप यह कार्य कार्यपालक अभियंता के स्तर से की जानी थी न कि उनके स्तर से।

दूसरे आरोप के संबंध में कहना है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की कंडिका–8.1.6 में अंकित है कि–"मोरहर नदी के पूल के पी0सी0सी0 फ्लोर की मुटाई कम होने एवं प्रयोगशाला जॉच में कंक्रीट की विशिष्टि न्यून पाये जाने के आलोक में कार्यपालक अभियंता, श्री राजेन्द्र सहनी, सहायक अभियंता, श्री भोला राम एवं कनीय अभियंता श्री ए0के0 सहनी सहित संवेदक फर्म मे0 कल्याणी कन्सट्रक्शन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है।"

जिससे स्पष्ट है कि आरोप सं0–2 के क्रम में निगरानी विभाग द्वारा उनपर यह आरोप गठित नहीं की गयी है।

7. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री राय के द्वितीय बचाव बयान से यह स्पष्ट होता है कि श्री राय पुल निर्माण शुरू हाने के लगभग 6 वर्षो के बाद प्रश्नगत कार्य से संबंध हुए हैं तथा संवेदक द्वारा किये गये कार्य का उनके द्वारा दशम चालू विपत्र दिनांक 20.04.2012 को समर्पित किया गया है। कार्य में विलम्ब हेतु संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार कार्यपालक अभियंता होते हैं इसके लिए कनीय अभियंता श्री राय जिम्मेदार नहीं माने जा सकते हैं। स्थल जॉच प्रतिवेदन में पूल के पी0सी0सी0 फ्लोर की मुटाई कम होने एवं प्रयोगशाला जॉच में कंक्रीट की विशिष्टि न्यून पाये जाने के लिए श्री राय

को नहीं बल्कि कनीय अभियंता श्री ए0के0 सहनी को उत्तरदायी माना गया है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राय के प्रश्नगत प्रमंडल में दिनांक 17.09.2011 को पदस्थापन के पूर्व ही पुल निर्माण का Foundation, फ्लोर एवं Substructure का कार्य पूर्ण हो चुका था, जिसका भुगतान प्रथम से नवम् विपत्र के माध्यम से दिनांक 24.01.2008 को किया जा चुका था। पुल के पी0सी0सी0 फ्लोर के कार्य का पर्यवेक्षण श्री राय द्वारा नहीं किया गया और न ही उनकी मापी ली गयी है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री जय प्रकाश नारायण राय, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। श्री राय दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत हो चुके हैं।

अतः उक्त के आलोक में श्री जय प्रकाश नारायण राय, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के विरूद्ध कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2162 दिनांक 26.07.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए इन्हें प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

24/2/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—1—51/2020 405 /पटना/दिनांकः— 24.2.23

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया/पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री जय प्रकाश नारायण राय, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/23

अभियंता प्रमुख